परिशिष्ट

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया (डी.पी.आई.आई.टी.) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिये दी जा रही सहायता एवं सहयोग

1. संस्थागत सहयोग (Institutional Support) –

1.1 मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना - स्टार्ट-अप्स को फेसिलीटेशन एवं आवश्यक सहयोग, एक संस्थागत मंच प्रदान करने तथा उन्हें वैश्विक तथा स्थानीय बाजार/आयोजनों/कार्यशालाओं इत्यादि में पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु विषय विशेषज्ञों से युक्त स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना की जावेगी। यह सेंटर राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, मजबूत करने और सुविधा प्रदान करने वाली समर्पित एजेंसी का कार्य करेगी।

1.2 सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल का विकास - स्टार्ट-अप हेतु एक सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जावेगा जो स्टार्ट-अप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स तथा अन्य संबंधित हित धारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु सेतु का कार्य करेगा। प्रदेश में स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स को इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रधानतः सभी प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जावेगा।

1.3 अकादमिक सहयोग एवं भागीदारी (Academic Support & Participation) - स्टार्ट-अप्स तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा आवश्यक तकनीकी एवं मार्गदर्शी सहयोग के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों एवं अन्य अकादमिक संस्थानों से आवश्यक सहायता एवं भागीदारी प्राप्त की जावेगी। शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता विकास संबंधी कोर्स पाठ्यक्रम में शामिल कर नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा।

1.4 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (EODB) – स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स के सुगम संचालन हेतु उन्हें विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेसिलीटेट किया जावेगा।

2. विपणन एवं नकद तरलता सहयोग/सहायता (Marketing & Liquidity Support/Assistance) - प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को संस्थागत विपणन सहायता हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय . 2015,नियम तथा सेवा उपार्जन (समय-समय पर संशोधित) यथा आवश्यक प्रावधान किए जावेंगे। राज्य शासन के समस्त निविदाओं (NIT)/ प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) में सुरक्षा निधि (Security Deposit) बयाना राशि (EMD) से छूट प्राप्त होगी।

3. वित्तीय सहायता (Financial Assistance) –

3.1 प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स –

- प्राप्त निवेश पर सहायता - ऐसा स्टार्ट-अप जिसमें सेबी (Security and Exchange Board of India)/ RBI द्वारा अधिमान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से फण्ड/निवेश प्राप्त किया गया हो

तो 15% की दर से अधिकतम रूपए 15 लाख की सहायता। जीवन काल में अधिकतम चार चरणों में प्राप्त निवेश पर। प्रदेश में स्थित संबंधित इन्क्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख सहायता।

- महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को अतिरिक्त 20 प्रतिशत की सहायता।
- **आयोजन सहायता** - कार्यक्रम के आयोजन के लिए मध्यप्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख प्रति आयोजन की सहायता जो रूपए 20 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
- **इन्क्यूबेशन उन्नयन सहायता** - इन्क्यूबेटर्स के उन्नयन हेतु रूपए 5 लाख की एक मुश्त सहायता शर्तों के अध्याधीन।
- **लीज रेंटल सहायता** – स्टार्टअप्स को लीज पर लिये गये कार्यस्थल हेतु चुकाये गये प्रतिमाह किराये का 50% अधिकतम रू. 5000/- प्रतिमाह की लीज रेंटल सहायता तीन वर्ष के लिये।
- **पेटेंट सहायता** - पेटेंट प्राप्त करने हेतु रूपए रूपए 5 लाख की अधिकतम सहायता इस शर्त के साथ कि पेटेंट प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप के लिए प्राप्त किया गया हो।

3.2 **उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं सहयोग-**

- एमएसएमई टेक्नॉलाजी सेंटर, भोपाल एवं इन्दौर में आवश्यक मशीन के उपभोग की सुविधा।
- **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** – कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रूपए 13000 प्रतिवर्ष तीन वर्षों के लिये अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जावेगी।
- **रोजगार सृजन अनुदान** - नियोक्ता द्वारा उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम तीन वर्ष में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रूपए 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ।
- **विद्युत शुल्क पर छूट** :- नवीन इकाईयों- को विद्युत कनेक्शन दिनांक से 3 वर्ष के लिये।
- **विद्युत टैरिफ में रियायत** :- नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्षो हेतु 5 रूपये प्रति यूनिट की स्थिर दर से।
- प्रचलित एमएसएमई विकास नीति में प्रावधानित सुविधाओं का लाभ।

3.3 **राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत वित्तीय सहायता/गैर वित्तीय सहायता** - प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु प्राप्त एवं चयनित अवधारणा को रूपए 1 करोड़ तक अनुदान, अधिकतम चार चरणों में प्रदान किया जावेगा एवं उन्हें अन्य गैर-वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया जावेगा।

उप संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त

(राजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म लघु और मध्यम उ... वि...